रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 543] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 12, 1984/कार्तिक 21, 1906
No. 543] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 12, 1984/KARTIKA 21,1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1984

अधिसूचना

का. आ. 829(अ) :—केन्द्रीय सरकार, गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1984 (1984 का 16) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एम. एल. साहनी को संदाय आयुक्त नियुक्त करती है ।

[एफ. सं. 18/10/84-ई.ओ.पी.]

गिरीश प्रधान, अवर सचिव

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 9th November, 1984

NOTIFICATION

S.O. 829(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Central Floor Mills Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1984 (16 of 1984), the Central Government hereby appoints Shri M. L. Sahni, as Commissioner of Payments.

[F. No. 18|10|84-EOP]

GIREESH PRADHAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984